

प्रथम पत्र

अंचल अधिकारी का कार्यालय, कसमार

अनुसूची 10 - फारम सं0 562।







आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्ताक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक/ता0.....से.....तक

जिला- बोकारो, विविध वाद सं0 ...04...सन् 2022-23

केस का प्रकार - विविध वाद के तहत ऑनलाईन पंजी 2 में प्रविष्टि।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
07.02.2023	<p>आवेदक श्री नारायण महतो, पिता स्व0 सानु महतो, ग्राम-गौरैयाकुदर, पंचायत-खैराचातर, थाना-कसमार, जिला- बोकारो के द्वारा आवेदन ऑनलाईन पंजी 2 पर प्रविष्टि करने हेतु दिया गया है, जिसकी मौजा सिंहपुर, थाना संख्या 140, खाता संख्या 139, प्लॉट संख्या 647,651, कुल रकवा 0.31 ए0 वर्णित हैं। इसकी प्रविष्टि झारभूमि पोर्टल पर ऑनलाईन नहीं है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन मांगे।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p> 7.2.2023 अंचल अधिकारी कसमार।</p>	
17.02.2023	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त आवेदन की जांच कराई गई, जांचोपरान्त प्रतिवेदित है कि आवेदित भूमि खाता संख्या 139, प्लॉट संख्या 647, 651, कुल रकवा 0.31 ए0 सर्वे खतियान में रैयती दर्ज है। जिसकी जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 153/V (ऑफलाईन) में दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2015-16 में दाखिल-खारिज केश संख्या 46/2015-16 के आदेशानुसार निर्गत है। अतः ऑनलाईन पंजी 2 में जमाबंदी दर्ज किया जा सकता है।</p>	
	<p>संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं मैनुअल पंजी 2 के आधार पर मौजा सिंहपुर, थाना संख्या 140, खाता संख्या 139, प्लॉट संख्या 647,651 कुल रकवा 0.31 ए0 की ऑनलाईन पंजी 2 में प्रविष्टि करने की स्वीकृति दी जाती है।</p>	
	<p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p> 17.2.2023 अंचल अधिकारी कसमार।</p>	
24.02.2023	<p>अभिलेख उपस्थापित। झारभूमि पोर्टल पर उक्त आवेदन में वर्णित खाता/प्लॉट के भूमि की ऑनलाईन प्रविष्टि कर दी गई है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p>	
	<p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p> 24.2.2023 अंचल अधिकारी कसमार।</p>	